UNITED ARAB EMIRATES
MINISTRY OF HUMAN RESOURCES
& EMIRATISATION

الإمارات العربية المتحدة
وزارة الموارد البشرية
والتوطين

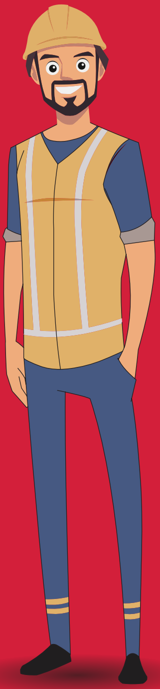

प्रिय कामगार,

अपने अधिकार जानें

संयुक्त अरब अमीरात में आपका स्वागत है

हम इसके द्वारा आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस गाइड के माध्यम से हमारे द्वारा आपको दिए गए निर्देशों को पढ़ें ताकि आप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, यह दोहराया जाता है कि ऐसे विशेष अधिकार 2021 की डिक्री कानून संख्या (33) द्वारा संरक्षित हैं।

हम आपके आभारी हैं कि आपने संयुक्त अरब अमीरात को ऐसे देश के रूप में चुना, जहाँ आप काम करेंगे।

उत्पादन और विकास को बढ़ावा देने के लिए हम महत्वपूर्ण अतिथि और भागीदार के रूप में हमारे देश में आपका स्वागत करने के समय हम सुविधाजनक निवास, सौभाग्य और आपके काम में सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।

इस गाइड में आपको ऐसे निर्देश प्रदान किए गए हैं जिनसे आपको श्रम संबंधों के विनियमन संबंधी कानून और इसके जुड़े कार्यकारी निर्णयों द्वारा निर्दिष्ट आपके अधिकारों और कर्तव्यों को जानने में सहायता मिलेगी। वास्तव में, ऐसे अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में आपकी जागरूकता से आपके और उस नियोक्ता जिससे आपने अनुबंध निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, के बीच स्वस्थ, पारदर्शी और संतुलित संबंध स्थापित और संरक्षित करने में योगदान मिलेगा।

इसके अलावा, आपके और नियोक्ता के बीच तय रोजगार अनुबंध के अनुसार प्रदान किए गए आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे दायित्व के आधार पर, हम आपको हमारे साथ संवाद करने और पूछताछ और कंपनियों को दर्ज करने के लिए बहुत से माध्यम भी उपलब्ध करवाते हैं।

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय

7 आपको इन सात महत्वपूर्ण बिंदुओं की अवश्य जानकारी होनी चाहिए

आपसे संयुक्त अरब अमीरात पहुँचने के बाद अपने रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाती है।

नियोक्ता के लिए कामगार को उसकी भर्ती और नियुक्ति की लागतों का भुगतान करने के लिए बाध्य करना या कामगार से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा शुल्क प्राप्त करना मना होगा।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपने जिस नौकरी के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं उसकी एक प्रति बनाए रखें।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि यदि नियोक्ता आपको सहमति के अनुसार नौकरी का अवसर प्रदान न करे या आपको अपना पूरा और समय पर वेतन न मिले, तो आप तुरंत हमसे संपर्क करें।

आपके रोजगार अनुबंध के नियम और प्रावधान आपके देश में आपके द्वारा हस्ताक्षरित नौकरी की पेशकश के अनुरूप होंगे।

आप किसी भी समय अपनी नौकरी छोड़ने के हकदार हैं। बहरहाल, आप अपने कानूनी दायित्वों से पूरी तरह अवगत होंगे।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पहचान दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर बनाए रखें।

निर्देश

संयुक्त अरब अमीरात पहुँचने से पहले के

प्रश्न 1

वे कौन-सी वित्तीय लागतें हैं जिन्हें उस नियोक्ता द्वारा वहन किया जाएगा जिससे आपने अनुबंध निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है ?

नियोक्ता आपकी भर्ती और नियुक्ति की लागतों और श्रम संबंध की मियाद समाप्ति पर आपके देश में आपकी वापसी के व्ययों का भुगतान करेगा। ऐसी धनराशि कामगार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र नहीं की जाएगी। नियोक्ता लागू कानून में निर्धारित बीमा, अंशदान और गारंटियों से संबंधित व्यय भी वहन करेगा।

प्रश्न 2

जिस नियोक्ता से मैंने अनुबंध निष्पादित करने की सहमति व्यक्त की है, उसके लिए काम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुँचने से पहले मुझसे क्या अपेक्षित होगा ?

आपके भर्ती एजेंट या जिससे आपने अनुबंध निष्पादित करने की सहमति व्यक्त की है, उस नियोक्ता ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने से पहले आपका लिखित नौकरी प्रस्ताव प्राप्त करने पर आपके रोजगार के नियमों और प्रावधानों को पहले ही स्पष्ट कर दिया होगा। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि ऐसे नौकरी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पहले आप अपनी नौकरी के विवरण, पदनाम, उत्तरदायित्वों, वेतन, लाभों और विस्तृत कार्य शर्तों सहित नौकरी प्रस्ताव के तहत निर्धारित नियमों और प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से अवगत हों। इसके अलावा, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप नौकरी प्रस्ताव के विस्तृत अनुलग्नक की समीक्षा करें जिसमें ऐसा अनुलग्नक संयुक्त अरब अमीरात में लागू श्रम संबंधों के विनियमन संबंधी कानून और इससे जुड़े कार्यकारी निर्णयों के तहत आपके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में आपकी जागरूकता में योगदान देता है। इसलिए आप नियोक्ता से नौकरी प्रस्ताव की प्रति प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे और यह अपेक्षित है कि इसे सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखा जाए।

निर्देश
संयुक्त अरब अमीरात पहुँचने के बाद के

प्रश्न 3

संयुक्त अरब अमीरात पहुँचने पर अनुबंध प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है ?

- आपने जिस नियोक्ता से अनुबंध निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है, वह संयुक्त अरब अमीरात में आपके आगमन के एक सप्ताह के भीतर आपके रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा। आप अपने रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के बाद मंत्रालय की वेबसाइट या किसी तावजीह केंद्र पर जाकर इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं और इसकी समीक्षा कर सकते हैं जहाँ आप इसकी प्रति सुरक्षित स्थान में रखेंगे।

- आपने जिस नियोक्ता से अनुबंध निष्पादित करने की सहमति व्यक्त की है, वह आपका निवास परमिट प्राप्त करने संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए जिम्मेदार होगा जबकि इस अनुरोध के लिए आपको कोई खर्च वहन नहीं करना होगा।

- आपका निवास परमिट प्राप्त करने के लिए नियोक्ता को आपके पहचान दस्तावेज लेने की जरूरत होगी जिसमें इस परमिट को प्राप्त करने के लिए जरूरी अवधि के दौरान ऐसे दस्तावेज उसके पास रहेंगे।

- आपका निवास परमिट जारी होने पर, नियोक्ता आपके पहचान दस्तावेज आपको लौटा देगा।

यदि नियोक्ता आपसे ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध करे जिसमें नौकरी प्रस्ताव के तहत सूचीबद्ध से अलग शर्तें और प्रावधान निर्धारित हों, तो ऐसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से इनकार करें और इस संबंध में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को सूचित करें, भले ही नियोक्ता ने यह पुष्टि की हो कि ऐसे परिवर्तन आपके लिए लाभदायक होंगे, क्योंकि संविदात्मक नियमों और शर्तों में बदलाव गैर-कानूनी है जिसके चलते आप उन्हीं शर्तों और प्रावधानों से लाभ पाने के हकदार हैं जिनके लिए आपने नौकरी के मूल प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है।

प्रश्न 4

यदि नियोक्ता ने घोषित अवधि के दौरान मुझे कोई कार्य नहीं सौंपा और मुझे उसकी टीम सूची में शामिल नहीं किया तो मुझे कौन-सी प्रक्रियाएं अपनानी होंगी?

- नियोक्ता आपके पहुँचने पर आपको आपके नौकरी संबंधी कार्यों को करने में सक्षम करेगा। ऐसे मामले में, यदि आपके आगमन के एक सप्ताह के भीतर उसने आपको रोजगार अनुबंध प्रदान नहीं किया और यदि आप अपने आगमन पर तुरंत काम करने में सक्षम नहीं थे, तो इस संबंध में आप मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के निकटतम कार्यालय को टोल फ्री नंबर: 80060 के माध्यम से इस संबंध में सूचित करेंगे।
- सहमति प्राप्त कार्य करने के बदले में वेतन का निपटान किया जाएगा जिसके द्वारा नियोक्ता आपको ऐसा कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगा।
- नियोक्ता रोजगार अनुबंध के तहत सहमत कार्य के सिवाए कोई अन्य कार्य सुपुर्द नहीं करेगा जहाँ ऐसी सुपुर्दगी कामगार के लिखित समझौते के अधीन होगी।
- ऐसे मामले में जहाँ सहमति प्राप्त कार्यों के सिवाए किसी अन्य कार्य को करने की जरूरत होती है, वहाँ नियोक्ता इससे उत्पन्न होने वाली सभी वित्तीय लागतों को वहन करेगा, जिनमें कामगार के परिवहन और आवास की लागतें शामिल है।

निर्देश

नौकरी की पद्धति संबंधी

प्रश्न 5

काम शुरू करने पर मुझसे क्या उम्मीद की जाती है ?

आपने चूंकि अपने रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए आप निम्नलिखित के लिए बाध्य होंगे:

- नियोक्ता या उसके प्रतिनिधि के मार्गदर्शन के अनुसार, और संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार, अपने कार्यों को स्वयं पूरा करें, जिससे वह किसी भी कामगार के कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति को असाइन नहीं करेगा;
- काम करते समय उचित नैतिकता और आचरण का पालन करें;
- आपको सौंपे गए उत्पादन के साधनों और कामकाज के औजारों को संरक्षित रखें;
- आपके काम के भाग के रूप में आपको उपलब्ध कराई गई जानकारी और डेटा की गोपनीयता संरक्षित रखें, और काम से जुड़े रहस्यों को प्रकट करने से बचें;
- नियोक्ता या इस संबंध में उनके प्रतिनिधि से प्राधिकार प्राप्त किए बिना, काम से जुड़े रहस्यों से संबंधित किसी भी मूल दस्तावेज अथवा दस्तावेज़ों की हार्ड या सॉफ्ट प्रति अपने पास रखने से बचें;

- कानूनों या कार्य विनियमों और इसके प्रभावी निर्देशों के अनुसार,

उद्यम में अपनाई गई व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-संबंधी निर्देश लागू करें;

- अनुबंध के तहत निर्धारित कार्य दिवसों और कार्य समय के दौरान काम करें;
- इस संबंध में परमिट प्राप्त किए बिना अन्य पक्षों के लिए काम करने से बचें; और
- सेवा समाप्ति तारीख के तीस (30) दिनों के भीतर नियोक्ता द्वारा आपको प्रदान किया गया आवास खाली कर दें। बहरहाल, आप उपर्युक्त अवधि की मियाद समाप्ति पर, इसकी लागतें वहन करने पर, या नियोक्ता से लिखित में सहमति के अनुसार अपने निवास पर रह सकते हैं।

व्यक्तियों के बीच जातीयता, रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीय मूल, सामाजिक मूल, विकलांगता के आधार पर भेदभाव की मनाही है, क्योंकि इससे अवसरों और इन तक पहुँच अर्थात् जब नौकरी प्राप्त करने, काम करना जारी रखने, और इससे संबंधित अधिकारों का उपभोग करने की बात आती है, के संदर्भ में समानता प्रभावित और कमजोर होती है। इसके अलावा, समान नौकरी विवरण और कार्यों को साझा करने वाले पदों में भेदभाव की मनाही है।

निर्देश

अनुबंध समाप्ति या विवादों के मामले के लिए

नियोक्ता आपको मजबूर करने या आपको उसके लिए काम जारी रखने के लिए या आपको अपनी इच्छा के खिलाफ सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर करने के लिए या आपके लिए कोई मंजूरी देने के लिए किसी भी तरह का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि इस तरह का संबंध एक संविदात्मक है, जिसका अर्थ है कि आप या नियोक्ता इसे समाप्त करने के हकदार हैं । आपका रोजगार अनुबंध उन कदमों को निर्धारित करता है जिनका पालन तब किया जाएगा जब या तो पार्टी या दोनों पक्ष श्रम संबंध की समाप्ति की सूचना देते हैं, जिससे अनुबंध को समाप्त करने के लिए कानूनी कदमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप किसी भी मामले में, निर्धारित चरणों का पालन किए बिना नियोक्ता के लिए काम करना छोड़ने के लिए हकदार नहीं हैं, और न ही एक और नियोक्ता के लिए काम करना चाहते हैं ।

प्रश्न 6

यदि मैं नियोक्ता के लिए काम जारी रखना चाहूंगा तो क्या होगा, लेकिन वह अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं करता है ?

यदि कोई भी पक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है तो दूसरा पक्ष रोजगार अनुबंध समाप्त कर सकता है। इसलिए, यदि नियोक्ता अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को सूचित करें। ऐसी स्थिति में, हम आपके अधिकारों और वित्तीय अधिकारों को प्राप्त करने के मामले में आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं और यदि आप चाहते हों, तो हमारे कानून के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार वैकल्पिक नौकरी खोजने में आपकी सहायता करते हैं।

प्रश्न 7

यदि मेरे नियोक्ता को लगता है कि मैंने अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं किया है तो क्या होगा ?

यदि आप अनुबंध के तहत निर्धारित अपने कार्यों और कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जबकि नियोक्ता आपके प्रति अपने दायित्वों को पूरी तरह से पूरा करता है, तो नियोक्ता आपसे श्रम संबंध समाप्त कर सकता है। बहरहाल, ऐसे मामले में जहाँ आपको लगता है कि आपने वास्तव में अपने दायित्वों को पूरा किया है और नियोक्ता द्वारा की गई श्रम संबंध की समाप्ति अवैध है, तो हम आपको मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय के समक्ष मध्यस्थता के लिए अनुरोध दाखिल करने के लिए आमंत्रित करते हैं। नियोक्ता से आपके विवाद का समाधान नहीं हो पाने पर, आप संयुक्त अरब अमीरात में श्रम न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने के हकदार होंगे, क्योंकि अमीरात का संविधान आपको अदालतों को संदर्भित करने के अधिकार की गारंटी देता है।

रोजगार अनुबंध निम्नलिखित में से किसी भी मामले में समाप्त हो जाएगा:

1. समाप्ति के संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता
2. अनुबंध के तहत निर्धारित अवधि की मियाद समाप्ति, जब तक कि यह नवीकृत या विस्तारित न हो
3. किसी भी पक्ष की इच्छा के अनुरूप, बशर्ते ऐसी समाप्ति डिक्री कानून के तहत निर्धारित प्रावधानों के साथ-साथ अनुबंध के तहत सहमत नोटिस अवधि का पालन करती हो
4. नियोक्ता की मृत्यु यदि रोजगार नियोक्ता से व्यक्तिगत रूप से संबंधित हो,;
5. चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार कामगार की मृत्यु या उसकी स्थायी या अस्थायी विकलांगता
6. कामगार के विरूद्ध अंतिम निर्णय की घोषणा जिसके तहत उसे उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाली सजा दी गई हो, जहाँ सजा की अवधि कम से कम तीन (3) महीने हो।
7. देश में लागू कानूनों के अनुसार, उद्यम का अंतिम समापन
8. नियोक्ता का दिवालियापन या दिवाला, या कोई अन्य आर्थिक या अपवाद आधार जिससे परियोजना की निरंतरता में बाधा उत्पन्न होगी।
9. नियोक्ता के नियंत्रण से परे किसी भी अन्य कारण के चलते वर्क परमिट को नवीकृत करने के लिए शर्तों को पूरा करने में कामगार की विफलता।

प्रश्न 8

क्या मैं नए नियोक्ता के लिए काम करने का/की हकदार हूं ?

आप निम्नलिखित मामलों में नया कार्य परमिट प्राप्त करने के हकदार हैं :

- आपने अपनी निर्धारित संविदात्मक अवधि पूरी कर ली होगी और आप अनुबंध का नवीकरण नहीं कराने का चुनाव करेंगे।
- आपने नियोक्ता को समाप्ति का नोटिस दे दिया होगा और सहमत नोटिस अवधि का पालन किया होगा।
- यदि नियोक्ता ने अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा न किया हो जिस पर आपने काम छोड़ने के लिए आप द्वारा निर्धारित तारीख से पहले चौदह (14) दिन के भीतर इस संबंध में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को सूचित कर दिया हो, बशर्ते नियोक्ता ने ऐसे उल्लंघन के प्रभावों पर ध्यान न दिया हो, हालाँकि मंत्रालय ने उसे इसके बारे में सूचित कर दिया हो।
- यदि आप अनुबंध को लिखित में समाप्त करने के लिए नियोक्ता के साथ सहमत हो गए हों
- यदि आप परिवीक्षा अवधि के दौरान रोजगार अनुबंध समाप्त करना चाहते थे और किसी नए नियोक्ता के लिए काम करना चाहते थे, तो आप समाप्ति के लिए निर्धारित तारीख से पहले एक महीने के भीतर इस संबंध में मूल नियोक्ता को सूचित करेंगे जिसके द्वारा नया नियोक्ता भर्ती या अनुबंध की लागत के लिए मूल नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, जब तक इस बारे में अन्यथा सहमति न हुई हो।

आप निम्नलिखित मामलों में नया कार्य परमिट प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे:

- जहाँ अनुबंध सहमत नोटिस अवधि या उसकी क्षतिपूर्ति का पालन किए बिना परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्त किया जाएगा;
- जहाँ आप अनुबंध की समाप्ति पर नोटिस अपेक्षाओं और / नियोक्ता की क्षतिपूर्ति का पालन करने में विफल रहे हों;
- जहाँ आपने अनुबंध की अवधि के समाप्त होने से पहले किसी अवैध कारण से काम में रुकावट डाली हो।

यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अधिकारों से अवगत हों जिनसे हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके अधिकार श्रम कानून और इससे संबंधित कार्यकारी निर्णयों से सुरक्षित हैं।

आपके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूक होने से हमें यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि संयुक्त अरब अमीरात में कामकाज के लिए आपका निवास सफल रहे।

जब भी आपको इसकी आवश्यकता होगी हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, इसलिए बेझिझक हमसे संपर्क करें।

श्रम कानून के बारे में अधिक जानकारी के लिए, अपने स्मार्टफोन कैमरे के माध्यम से इस कोड को स्कैन करें।

800 60

@MOHRE_UAE @MOHREUAE

www.mohre.gov.ae